



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



31 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 291 राँची, मंगलवार,

21 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

1 मार्च, 2024

संचिका संख्या:-8/ आरोप-02/2022 का० 1572--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विनोद कुमार नायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, राँची (सम्प्रति- निलम्बित) के विरुद्ध समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय झारखण्ड, राँची के पत्रांक 241 दिनांक 10.03.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में उन्हें निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाए जाने की अनुशंसा की गई ।

2. आरोप पत्र में श्री नायक के विरुद्ध निम्नवत आरोप प्रतिवेदित किया गया है :-

- (i) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी श्री विनोद कुमार नायक, दिनांक 18.01.2022 से बिना अवकाश स्वीकृत कराये कार्यालय से अनाधिकृत रूप से फरार चल रहे हैं। इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री नायक दिनांक 21.01.2022 को प्रथम पाली में कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए अपना स्पष्टीकरण समर्पित किये एवं द्वितीय पाली में पुनः बिना किसी सूचना के अब तक फरार हैं। कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय द्वारा विशेष दूत के

माध्यम से निर्गत पत्र संख्या 63 दिनांक 27.01.2022 को इनके द्वारा लेने से इंकार किया गया ।

- (ii) गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के स्तर से विभिन्न जिला ईकाईयों को राशि आवंटित किये जाने संबंधी संचिका को इनके द्वारा रोक कर रखा गया एवं समीक्षोपरान्त आदेश दिये जाने के बाद भी इनके द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव वरीय पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थापित किया गया । फलस्वरूप विभिन्न जिला ईकाईयों एवं मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि तथा स्वयंसेवी गृह रक्षकों के मानदेय का भुगतान लंबित रहा ।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए इन्होंने ससमय पुनरीक्षित बजट की माँग नहीं की ।
- (iv) गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर बिना किसी सूचना के ये कार्यालय से अनुपस्थित रहे ।
- (v) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत आवेदन देने हेतु इनके द्वारा सीधे गृह विभाग से पत्राचार किया गया ।
- (vi) स्पष्टीकरण में वरीय पदाधिकारियों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया ।

3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 2106 दिनांक 31.03.2022 द्वारा श्री नायक से उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में उनसे बचाव-बयान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। लेकिन उनका बचाव-बयान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समीक्षोपरान्त उन्हें विभागीय आदेश संख्या 3395 दिनांक 31.05.2022 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय आदेश संख्या 3397 दिनांक 31.05.2022 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया ।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 6373 दिनांक 10.11.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है:-

- (i) आरोपी पदाधिकारी श्री विनोद कुमार नायक के विरुद्ध गठित आरोपों पर उनको अपना बचाव बयान समर्पित करने हेतु दिनांक 15.06.2023, दिनांक 10.07.2023, दिनांक 31.07.2023, दिनांक 29.08.2023 एवं दिनांक 21.09.2023 की तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित तिथियों में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा आवेदन समर्पित कर submission दिया गया कि अपना बचाव बयान समर्पित करने हेतु उन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता है, जिसकी मांग कार्मिक विभाग एवं गृह रक्षा वाहिनी से की गयी है परन्तु दस्तावेज अप्राप्त है ।
- (ii) विभागीय कार्यवाही संचालन के लगभग चार माह बीत जाने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी को वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पाया है। विभागीय कार्यवाही संचालन

के क्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा बचाव बयान समर्पित करने हेतु दस्तावेज प्राप्त करने के निमित्त प्रयास नहीं किया जा रहा है एवं अनावश्यक रूप से कार्यवाही को लम्बा खींचा जा रहा है ।

- (iii) आरोपी पदाधिकारी लगभग डेढ़ वर्षों से निलम्बित है। यदि प्रयास किया जाता तो उन्हें गृह रक्षा वाहिनी/गृह विभाग से दस्तावेज प्राप्त हो सकता था। श्री नायक यदि प्रयास करते तो उन्हें ऑनलाईन ही कुछ दस्तावेज प्राप्त हो सकते थे। उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वाद की कार्रवाई को आगे चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रशासी विभाग श्री विनोद नायक कि विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित मानते हुए नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई कर सकता है।
5. श्री नायक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री नायक के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिया गया:-
- विभागीय संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आरोपी श्री विनोद कुमार नायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय झारखण्ड, राँची (सम्प्रति-निलम्बित) के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।
 - श्री नायक को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी ।
 - श्री नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। वे पदस्थापन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।
6. श्री विनोद कुमार नायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय राँची (सम्प्रति-निलम्बित) के सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्णय लेते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव ।
